कार्यालय–प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com,Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक-1969 / 12–1 देहरादूनः दिनांकः 04-02-2025

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, 25–सुभाष रोड़, देहरादून।

विषयः– **जनपद बागेश्वर में विधानसभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत दूणी सुकुण्डा मोटर मार्ग का विस्तार शोभाकुण्ड तक 8.00 किमी0 मोटर मार्ग निर्माण हेतु 4.34 है0 वनभूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।**
(Online Proposal No. FP/UK/ROAD/27337/2017)

सन्दर्भ :– भारत सरकार की पत्र संख्या 8बी. / यू.सी.पी. / 06 / 146 / 2020 / एफ0सी0 / 2481 दिनांक 17–03–2021।

महोदय,

प्रकरण में प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या अपने पत्रांक 1857 / 12–1–2 दिनांक 26–11–2024 से वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा को प्रेषित की गई है जिसे वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा द्वारा अपने पत्रांक 1383 / 12–1(2) दिनांक 09–12–2024 से इस कार्यालय को निम्नानुसार प्रेषित की गई है–

क्र० सं०	सैद्धान्तिक सवीकृति में अधिरोपित शर्त	अनुपालन आख्या
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि वन भूमि विधिक परिस्थिति नहीं बदले जाने हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी सहमत है।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाने पर प्रयोक्ता एजेन्सी सहमत है।
3	**प्रतिपूरक वनीकरणः–**	
	(क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 8.680 है० सिविल सोयम भूमि ग्राम बदियाकोट पर प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें।	(क) प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 8.680 है० सिविल सोयम भूमि ग्राम बदियाकोट में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा एवं उक्त क्षेत्रों में स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों के लगाया जाएगा जिससे प्रजातियों की एकल ~~कृषि~~ प्लांटेशन से बचा जा सकेगा।

	(ख) गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष मे हस्तान्तरित एवं रूपांतरित किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण, नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। guideline para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये हैं को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।	(ख) प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रत्यावर्तित भूमि के बदले प्रस्तावित 8.680 है0 ग्राम बदियाकोट सिविल सोयम भूमि का जिलाधिकारी बागेश्वर के आदेश सं0 2162/छब्बीस-02 वन/2020-21 दिनांक 06.07.2021 द्वारा वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण कर दिया गया है। उक्त भूमि का खसरा खतौनी में स्वामित्व वन विभाग के नाम पर दर्ज कर दिया गया है। उक्त भूमि भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-4/20/29 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्याः 869-एफ/638 दिनांक 17.10.1893 के तहत संरक्षित वन घोषित है। **(संलग्नक-1)**
	(ग) वन मण्डल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी.ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।	(ग) प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा उक्त सी0ए0 क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किये जाने के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया है। **(संलग्नक- 2)**
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि आवश्यक हो तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तम्भन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रुप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किये जा सकते हैं।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार दस वर्षो तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथा संशोधित) रु0 32,19,429.00 (बत्तीस लाख उन्नीस हजार चार सौ उन्तीस मात्र UTR No. RBI0302274446373 दिनांक 29-01-2022 द्वारा जमा की जा चुकी है। **(संलग्नक-3)**
5	**शुद्ध वर्तमान मूल्य**	
	(क) इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) संख्या 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.03.2003 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998-एफ.सी. (Pt.2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006-एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) संख्या 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.03.2003 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998-एफ.सी. (Pt.2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006-एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार को एन0पी0वी0 की

	अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 4.34 है० वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	धनराशि रू0 28,16,559.00 (अठाईस लाख सोलह हजार पांच सौ उनसठ) मात्र UTR No. RBI0302274463160 दिनांक 29-01-2022 द्वारा जमा की गयी है। **(संलग्नक–3)**
	(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा उपरोक्त संदर्भित पत्र से प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन0पी0वी0 की बढ़ी हुयी धनराशि जमा किये जाने सम्बन्धि वचनबद्धता का प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेपित किया गया है **(संलग्नक–4)**
5	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में वृक्षों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 375 वृक्षों से अधिक नहीं होगी एवं वृक्ष राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालन में 375 trees से अधिक का पातन नहीं किया जायेगा। पेड़ों की कटाई में आने वाले व्यय का वहन प्रयोक्ता ऐजेंसी द्वारा किया जायेगा जिस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण समहत है।
6	State Govt. inform to this office if they pass any order for tree cutting and commencement of work before stage II approval as per guidlines para 11.2. The state govt will strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि गाईडलाइन्स में दिये गये दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत् स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति राज्य सरकार को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जाएगी के कम में प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है (शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।)
7	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित / जमा किए जाएंगे।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा धन ई–पोर्टल (https://parivesh.nic.in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फण्ड में स्थानांतरित / जमा किया गया है।
8	एफ0आर0ए0, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा उपरोक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि एफआरए 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। एफ0आर0ए0 के अनुपालन हेतु प्रयोक्ता अभिकरण

		सहमत है। **(संलग्नक–5)**
9	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गाति विनियमन साइनेज लगाए जाएगें।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा अवगत कराया गया है कि संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
10	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा अवगत कराया गया है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा के कम में पूर्व से ही प्रारूप सं0–54 संलग्न किया गया है जिसके अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।
11	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा अवगत कराया गया है कि केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
12	वन भूमि पर काई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा अवगत कराया गया है कि वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नही करने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
13	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय दन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषत वैकल्पिक ईधन दिया जाएगा।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्त्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषज्ञ वैकल्पिक ईधन दिया जायेगा, इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
14	संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर0सी0सी0 पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा उपरोक्त अवगत कराया गया है कि उनके निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन करने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
15	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर या कोई अतिरिक्त मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा अवगत कराया गया है कि परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा, इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
16	इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ, जो भी कम हो, लक्षित किया जाएगा।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ, जो भी कम हो, लक्षित किये जाने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

17	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा अवगत कराया गया है कि वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी परियोजना हेतु नहीं किया जायेगा, इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
18	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा अवगत कराया गया है कि केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा, जिस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
19	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11–42/2017–FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा अवगत कराया गया है कि इनमें से किसी भी शर्त का उल्ल्घन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लघन होगा एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11–42/2017 FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार ही कार्यवाही होगी, इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
20	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होंगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा अवगत कराया गया है कि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होगी जिस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
21	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वनिर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा अवगत कराया गया है कि पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुर्नजीवित करने के कार्य किया जायेगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जायेंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सोंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयवद्व तरीके से पूरा किया जायेगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

22	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/ अनुच्छेद /नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/ प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा अवगत कराया गया है कि यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/ न्यायलय/ अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है, तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
23	अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल https://parivesh-nic/in पर अपलोड की जाएगी।	अनुपालन रिपोर्ट ई-पोर्टल http://parivesh.nic.in पर अपलोड की जायेगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

अतः उपरोक्त प्रकरण में उपरोक्तानुसार प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रेषित सूचना के क्रम में वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 यथा संशाधित 2023 के अन्तर्गत विधिवत् स्वीकृति निर्गत करने हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(आर०के० मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या 1969 /12–1 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि :– वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(आर०के० मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

9/c

114

कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखंड, अल्मोड़ा।

Email : cfkumaon_north@rediffmail.com , ☎ *(05962) 231099 Fax : 230397*

पत्रांक -1383 / 12-1 (2) अल्मोड़ा, दिनांक, 07/12/ 2024.

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :- **जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत दूणी सुकुण्डा मोटर मार्ग का विस्तार शोभाकुण्ड तक 8.00 किमी0 मोटर मार्ग निर्माण हेतु 4.34 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन। (प्रस्ताव संख्या- 27337 / 2017)**

सन्दर्भ :- **भारत सरकार की पत्र संख्या- 8बी / यू0सी0पी0 / 06 / 146 / 2020 / एफ0सी0 / दि0 17.03.2021**

महोदय,

विषयगत मोटर मार्ग के संबंध में जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर के पत्रांक 1857/12-1-2 दिनांक 26.11.2024 द्वारा उपलब्ध करायी गयी है, जिसे आपके सूचनार्थ प्रेषित किया जा रहा है। कृपया अग्रेत्तर कार्यवाही करना चाहें।

संलग्न- तीन प्रतियों में।

भवदीय

(डॉ धीरज पाण्डेय)
मुख्य वन संरक्षक / वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

प्रभारी बागेश्वर
आ०का०केर्०
प्र०व०सं०/नो०
19-12-24

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण,भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,उत्तराखण्ड
देहरादून
पंजी0 सं0 2404
पत्रावली 12-1
दिनांक 21-12-24

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

Email- dfo_bageshwar@rediffmail.com/dfobageshwar03gmall.com

दूरभाष नं0— 05963-220249 फैक्स नं0— 05963-220209

पत्रांक 1557 / 12-1-2 बागेश्वर दिनांक : 26 / 11 / 2024

सेवा में

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषय :— **जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत दूणी सुकुण्डा मोटर मार्ग का विस्तार शोभाकुण्ड तक 8.00 कि0मी0 मोटर मार्ग निर्माण हेतु 4.34 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन। (प्रस्ताव संख्या—FP/UK/ROAD/27337/2017)**

सन्दर्भ :— भारत सरकार का पत्रांक सं0 08बी / यू0सी0पी0/06/146/2020/ एफ0सी0 / 2481 दिनांक 17.03.202[illegible]

महोदय,

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा **जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत दूणी सुकुण्डा मोटर मार्ग का विस्तार शोभाकुण्ड तक 8.00 कि0मी0 मोटर मार्ग निर्माण हेतु 4.34 है0** वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में कतिपय शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बिन्दुवार निम्न प्रकार अनुपालन आख्या प्रस्तुत की गई है

क्र0 सं0	अधिरोपित शर्त	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
	2	3
	[illegible] भूमि विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	वन भूमि विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाने हेतु प्रयोक्ता अभि[illegible] सहमत है।
	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद की [illegible] भूमि सौंपी जाएगी	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को [illegible] जाने के बाद की वन भूमि सौंपी जाएगी— प्रयोक्ता अभिकरण सहमत [illegible]
	प्रतिपूरक वनीकरण:—	
	[illegible] विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर [illegible] है0 सिविल सोयम भूमि ग्राम बदियाकोट पर प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहाँ तक [illegible] ही स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों के लगाया [illegible] प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें।	क) सिविल सोयम भूमि ग्राम बदियाकोट पर प्रतिपूरक वनीकरण [illegible] जाएगा। उक्त क्षेत्र में स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों के लगाया जायेगा [illegible] प्रजातियों की एकल कृषि से बचा जा सकेगा।
	[illegible] भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में [illegible] एवं स्थानांतरित किया जाएगा। भूमि के हस्तान्तरण, [illegible] एवं Notification करने के पश्चात् ही इस [illegible] द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जाएगी। [illegible] para 2.4(i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग [illegible] से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न [illegible] में प्रस्तुत किये गये है को वन विभाग के पक्ष में [illegible] एवं नामान्तरण करने के पश्चात भारतीय [illegible] अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति से [illegible] / संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक [illegible]	ख) प्रत्यावर्तित भूमि के बदले प्रस्तावित 8.680 है0 ग्राम बदियाकोट सि[illegible] सोयम भूमि का जिलाधिकारी बागेश्वर के आदेश सं0 2162 / छब्बीस [illegible] / वन / 2020-21 दिनांक 06.07.2021 द्वारा वन विभाग के [illegible] हस्तान्तरण / नामान्तरण कर दिया गया है। उक्त भूमि का खसरा ख[illegible] में स्वामित्व वन विभाग के नाम पर दर्ज कर दिया गया है। उक्त [illegible] भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा—4 / 20 / 29 के अन्तर्ग[illegible] अधिसूचना संख्या: 869—एफ / 638 दिनांक 17.10.1893 के तहत संरक्षि[illegible] वन घोषित है। (संलग्न—1)
	[illegible] वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा कि उक्त सी0ए0 क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत् वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।	ख) उक्त सी0ए0 क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के त[illegible] वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है। (संलग्न-2)

...पूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो ...तिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित ...ही दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं ...क्षण, सीमांकन और स्तम्भ की लागत परियोजना ...भिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना मे भविष्य मे निर्धारित कार्यो के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते है।	ग) प्रत्यावर्तित भूमि के बदले प्रस्तावित 8.680 है0 ग्राम बंदियाकाट सिवि... सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु रु० 32,19,429.00 मात्र (रू0 बत्तीस लाख उनीस हजार चार सौ उनतीस मा... की धनराशि भुगतान RTGS/NEFT के माध्यम से UTR N... RBI0302274446373 Dtd 29.01.2022 द्वारा जमा किया जा चुका है।
5 शुद्ध वर्तमान मूल्यः–	
(क) इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में WP(C) संख्याः 202/1995 में IA नं0 556 दिनांक 30.10.2020, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998 एफ.सी. (pt.2) दिनांक 18.09.2003ए 5–2/2006–एफ0सी0 दिनांक 03.10.2016 एवं 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 4.34 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	(क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में WP(C) संख्याः 202/1995 में IA नं0 556 दिनांक 30.10.2020, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय के पत्रांक 5–1/1998 एफ.सी. (pt.2) दिनांक 18.09.2... 5–2/2006–एफ0सी0 दिनांक 03.10.2016 एवं 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार को रु० 28,51,380.00 (अट्ठाईस लाख ईक्यावन हजार तीन सौ अस्सी मात्र) को 4.34 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) ऑनलाईन जमा करा दिया गया है। — 3
(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।	(ख) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो तो अंतिम रूप देने के बाद देय होने का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। (संलग्न-4)
6 प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 206 trees से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण प्रभावित होने वाले वृक्षों संख्या प्रस्ताव के अनुसार 206 न्यूनतम वृक्षों के पातन हेतु सहमत है।
(ख) राज्य सरकार प्रस्ताव में ओक प्रजाति के प्रभावित होने वाले 14 वृक्षों को यथासम्भव बचाने का प्रयास करेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण ओक प्रजाति के प्रभावित होने वाले 14 वृक्षों को यथासम्भव बचाने का प्रयास करेगी।
7 परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh.nic.in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकार फंड में स्थानांतरित/जमा किए जाएगें।	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh.nic.in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकार फंड में स्थानांतरित/जमा किया गया है। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
8 गाईडलाइन्स मे दिये गये दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत् स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई	गाईडलाइन्स में दिये गये दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत् स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जाएगी के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है (शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

	र गतिविधि नहीं की जाएगी	
	एफआरए 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	एफआरए 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धा प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित करने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सह है। (संलग्न-5)
	प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदडो के अनुसार सड़क के दोनो किनारो पर पौधों की संख्या बढाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदडो के अनुसार सडक के दो किनारो पर पौधो की संख्या बढाने हेतु सहमत है।
11	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों मे निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनयिमन साइनेज लगाए जाएगें।	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सडक के साथ गति विनयिमन साइनेज लगाने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
12	पर्यावरण सरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानो के अनुसार उपयो अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति तो प्राप्त करेगा के क्रम मे पूर्व प्रारूप सं0-54 संलग्न किया गया है जिसके अनुसार पर्यावरण स्वी की आवश्यकता नहीं है।
13	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले आउट प्लान नही बदला जाएगा।	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान बदला जाएगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
14	वन भूमि एव आस-पास की भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नही किया जायेगा।	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नही करने हेतु प्रयो अभिकरण सहमत है।
15	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्त्रोत से पर्याप्त लकडी, विशेषज्ञ वैकल्पिक ईधन दिया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्त्रोत पर्याप्त लकडी, विशेषज्ञ वैकल्पिक ईधन दिया जायेगा, इस हेतु प्रयो अभिकरण सहमत है।
16	सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।	सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन करने हेतु प्रयो अभिकरण सहमत है।
17	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं ब जायेगा, इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
18	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी परियोजना हेतु नहीं किया जायेगा।	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनो अतिरिक्त अन्य किसी परियोजना हेतु नही किया जायेगा, इस प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
19	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जायेगी।	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा, जिस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहम है।
20	इनमे से किसी भी शर्त का उल्ल्धन वन (संरक्षण) अधिनियम,1980 का उल्लधन होगा एवं पर्यावरण वन एव जलवायु परिवर्तन मत्रालय के दिशानिर्देश फाइल सख्या 11-42/2017 FC दिनांक 29.01. 2018 के अनुसार ही कार्यवाही होगी।	इनमें से किसी भी शर्त का उल्ल्धन वन (संरक्षण) अधिनियम,1980 उल्लघन होगा एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय दिशानिर्देश फाइल संख्या 11-42/2017 FC दिनांक 29.01.2018 अनुसार ही कार्यवाही होगी, इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
21	पर्यावरण वन एव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय समय पर निर्धारित शर्ते लागू होगी।	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन्यजीवो के संरक्ष व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्ते लागू होगी जिस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
22	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वनिर्दिष्ट स्थलो पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वनिर्दिष्ट स्थलो पर इस प्रकार मलवे का निस्तार करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य वन विभाग के पर्यवेक्षण मे तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षे को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य

	कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार सयमबद्ध तरीके से पूर्व किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र मे वृक्षों की कटाई की अनुगति नही होगी।	योजनानुसार सयमबद्ध तरीके से पूर्व किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी। इस हेतु प्रयो... अभिकरण सहमत है।
23	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है। तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय/ अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है। तो उनके अधीन ... अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी ... हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
24	अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh.nic.in) पर अपलोड की जायेगी, इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।	अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh.nic.in) पर अपलोड की जायेगी, इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

संलग्न–चार प्रतियों में

भवदीय,

(ध्रुव सिंह मर्तोलिया)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

आगमन
25/10/24

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, कपकोट

E.Mail . eepwdkapkot@rediffmail.com Ph./ Fax No. – 05963.253385 (O)

पत्रांक 2454 / 2ई0 दिनांक 24 / 10 / 2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग बागेश्वर।

विषयः– जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत दूणी सुकुण्डा मोटर मार्ग का विस्तार शोभाकुण्ड तक 8.00 किमी0 मोटर मार्ग निर्माण हेतु 4.34 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।(FP/UK/ROAD/27337/2017)

सन्दर्भ– भारत सरकार पर्यावरण एव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्रांक सं0 8बी0 / यू0सी0पी0 / 06 / 146 / 2020 / एफ0सी0 / 2481 दिनांक 17.03.2021

महोदय,

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत दूणी सुकुण्डा मोटर मार्ग का विस्तार शोभाकुण्ड तक 8.00 किमी0 मोटर मार्ग निर्माण हेतु 4.34 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में कतिपय शर्तो के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो का प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बिन्दुवार निम्न प्रकार अनुपालन आख्या प्रस्तुत की जा रही है:–

क्र0 सं0	अधिरोपित शर्त	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	वनभूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	वनभूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली गयी है।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौपे जाने के बाद ही वनभूमि सौपी जाएगी।	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वनभूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौपे जाने के बाद ही वनभूमि सौपी जाएगी। जिस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
	प्रतिपूरक वनीकरणः–	
3	(क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 8.680 है0 सिविल सोयम भूमि ग्राम बदियाकोट खसरा संख्या 2 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहा तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियां को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल कृषि से बचे।	वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 8.680 है0 सिविल सोयम भूमि ग्राम बदियाकोट, खसरा संख्या 2 में प्रतिपूरक वनीकरण वन विभाग द्वारा किया जाएगा एवं स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाएगा तथा प्रजातियों की एकल कृषि नहीं की जायेगी।
	(ख) रोपण के समय कम से कम 50 प्रतिशत 'ओक' प्रजाति के पौधों का रोपण किया जायेगा।	रोपण के समय कम से कम 50 प्रतिशत 'ओक' प्रजाति के पौधों का रोपण वन विभाग द्वारा किया जायेगा।
	(ग) गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित एव रूपांतरित किया जाएगा। भूमि के हस्तान्तरण, नामान्तरण एव Notification करने के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जाएगी। guidenline para 2.4(i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एव प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावो	उक्त सी0ए0 क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है (प्रमाण पत्र संलग्न–01)

आगमन संख्या 1804
दिनांक 25/10/2024

	मे प्रस्तुत किये गये है को वन विभाग के पक्ष मे हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।	
	(घ) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी0ए0 क्षेत्र पर पूर्व मे किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नही किया गया है।	भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत वि... स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित कर दि... गया है।
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरो पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभ की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रुप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना मे भविष्य मे निर्धारित कार्यो के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते है।	प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरो पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभ की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रुप से वन विभाग के पास जमा कर दी गयी है।
	शुद्ध वर्तमान मूल्य	
5	(क) इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP© संख्या 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.08.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्राल द्वारा पत्रांक 5-1/1998-एफ0सी0 (Pt. 2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006-एफ0सी0 दिनांक 03.10.2006 एवं 5-3/2007-एफ0सी0, दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 4.340 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्धि वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP© संख्या 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.08.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्राल द्वारा पत्रांक 5-1/1998-एफ0सी0 (Pt. 2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006-एफ0सी0 दिनांक 03.10.2006 एवं 5-3/2007-एफ0सी0, दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशा-निर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 4.340 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी। जिस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
	(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वनभूमि के शुद्धि वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो जो अंतिम रुप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।	विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वनभूमि के शुद्धि वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो जो अंतिम रुप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। जिस हेतु प्रयोकता अभिकरण सहमत है। (प्रमाण पत्र संलग्न-02)
6	(ग) प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वनभूमि मे पेड़ो की कटाई का न्यूनतम रखेगा एवं प्रभावित होने वाले वृक्षों संख्या प्रस्ताव के अनुसार 206 पेड़ों से अधिक नही होगी एवं पेड राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण मे कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ो की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वनभूमि मे पेड़ो की कटाई को न्यूनतम रखेगा एवं प्रभावित होने वाले वृक्षों संख्या प्रस्ताव के अनुसार 206 पेड़ों से अधिक नहीं होगी एव पेड राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण मे कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ो की कटाई की लागत जमा कर दी जायेगी। जिस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

	(ख) राज्य सरकार प्रस्ताव में ओक प्रजाति के प्रभावित होने वाले 14 वृक्षों को यथासम्भव बचाने का प्रयास करेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण उक्त बिन्दु से सहमत है।
7	t is seen that 1ha area of CA is in MDF. DFO may inspect the area and submit site inspection Report to this office and also upload the revise CA area digital map & Sol toposheet in online portal.	निरीक्षण रिपोर्ट जमा कर दी जायगी तथा digital map & Sol toposheet in online portal में अपलाड कर दिया गया है।
8	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https:// parivesh.nic.in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानातरित जमा किए जायेगें।	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https:// parivesh.nic.in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानातरित कर दिया गया है। (पत्र संलग्न–03)
9	गाईडलाईन्स के दिए गए दिशा–निर्देशों के पेरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जाएगी।	गाईडलाईन्स के दिए गए दिशा–निर्देशों के पेरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति कार्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा। साथ ही राज्य सरकार इसकी कडाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जाएगी।
10	एफ0आर0ए0 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	एफ0आर0ए0 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र द्वारा सुनिश्चित कर दिया गया है। पत्र संलग्न
11	प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सडक के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों एवं उसके बीचोंबीच पौधों की संख्या बढायेगी। जिस हेतु प्रयोकता अभिकरण सहमत है। (प्रमाण पत्र संलग्न–04)
12	संरक्षित क्षेत्रों /वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सडक के साथ गति विनियमन लाइनेज लगाए जाएगें।	संरक्षित क्षेत्रों /वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सडक के साथ गति विनियमन लाइनेज लगा दिये गये हैं।
13	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त कर ली गयी है।
14	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के विना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा। जिस हेतु प्रयोकता अभिकरण सहमत है।
15	वनभूमि एवं आस–पास की भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	वनभूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नही किया जायेगा। जिस हेतु प्रयोकता अभिकरण सहमत है।

	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरी को राज्यीय वन विभाग अथवा वन अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी विशेषत वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरी को राज्यीय वन विभाग अथवा वन अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी विशेषत वैकल्पिक ईंधन दिया गया है।
17	सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वनभूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।	प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वनभूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन कर दिया जायेगा।
18	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया गया है।
19	वनभूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।	वनभूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी परियोजना हेतु नहीं किया गया है।
20	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वनभूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जायेगी।	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वनभूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की गयी है।
21	इसमें किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा–निर्देश फाइल संख्या 11–42/2017–एफ0सी0 दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	इसमें किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा–निर्देश फाइल संख्या 11–42/2017–एफ0सी0 दिनांक 29.01.2018 के अनुसार कार्यवाही हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
22	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होने पर प्रयोक्ता अभिकरण अनुपालन करने हेतु सहमत है।
23	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रुप से तय सीमा से नीचे न गिरे।राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवार बनाई जाएगी। निस्तारण स्थलों का राज्य के वन विभाग को सौपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रुप से तय सीमा से नीचे न गिरे । राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवार बनाई जाएगी। निस्तारण स्थलों का राज्य के वन विभाग को सौपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई नहीं की जायेगी। प्रयोक्ता अभिकरण अनुपालन करने हेतु सहमत है।
24	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरुरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेन्सी की जिम्मेदारी होगी।	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरुरी अनुमति प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा ले ली जायेगी।

25	अनुपालन रिपोर्ट ई-पोर्टल (https:// parivesh.nic.in) पर अपलोड की जाएगी	अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल (https:// pariv पर अपलोड कर दी गयी है।

संलग्न–चार प्रतियों में।

भवदीय,
24/10/24
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0,
कपकोट
24-10-24

पत्रांक /2ई0 दिनांक /09/2024

प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता द्वितीय निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, कपकोट को सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीय,

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0,
कपकोट

संलग्नक-1

आदेश

उपजिलाधिकारी, कपकोट की आख्या/रिपोर्ट के आधार पर जनपद, बागेश्वर के अन्तर्गत निर्माण खण्ड [illegible], कपकोट से [illegible] मोटर मार्ग का [illegible] तक 8.00 कि०मी० मोटर मार्ग निर्माण हेतु [illegible] है० की एवज 8.680 है० भूमि, जो ग्राम बदियाकोट [illegible], बदियाकोट, तहसील, कपकोट के [illegible] 0.[illegible] [illegible] 9(3) व (1) के [illegible] खाता संख्या -110 खेत नम्बर 4129 [illegible] रकबा 0.480 है० [illegible] 4130 [illegible] रकबा 0.500 है०,खेत संख्या-4131 [illegible] रकबा 0.500 है०, [illegible] संख्या-4135 [illegible] 2.000 है०,4136 [illegible] 2.000 है०,,4137 [illegible] 1.200 है०,[illegible] 4138 [illegible] 2.000 कुल 8.680 है० शासनादेश संख्या-2173/2012-18 (120)/ 2012 दिनांक 17 दिसम्बर, 2012 तथा वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के पत्र संख्या- 08 बी / यू०सी०पी०/ 06 / 146/ 2020/ एफ०सी०/ 2481 दिनांक 17/03/2021 में दी गयी शर्तो के अधीन क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के पक्ष में नामांतरित/हस्तांतरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

जिलाधिकारी,
बागेश्वर।

कार्यालय जिलाधिकारी, बागेश्वर ।

संख्या 2162 / छब्बीस- 02 वन /2020-21 दिनांक 06/10/2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर,
2. उपजिलाधिकारी, कपकोट,
3. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड लोक निर्माण, बागेश्वर,
4. तहसीलदार, कपकोट को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त वर्णित भूमि का हस्तांतरण /नामांतरण वन विभाग के पक्ष में करते हुए संबंधित भूमि की खतौनी की एक-एक प्रति मय प्रमाण पत्र सहित वन विभाग एवं याचक विभाग को उपलब्ध कराते हुए अधोहस्ताक्षरी को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी,
बागेश्वर।

[illegible]

फोटो प्रति सत्यापित
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
कपकोट (बागेश्वर)

Digitally signed by VINEET KUMAR
Date: Tue Jul 06 11:35:22 IST 2021
Reason: Approved

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि वन संरक्षण अधिनियम, 1980 एवं वन संरक्षण नियमावली, 2003 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत प्रस्ताव संख्या **FP/UK/ROAD/27337/2017** योजना **जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत दूणी सुकुण्डा मोटर मार्ग का विस्तार शोभाकुण्ड तक 8.00 कि0मी0 मोटर मार्ग निर्माण हेतु 4.34 है0** वन भूमि ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के लिये वन विभाग को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्राप्त ग्राम किलपारा पटवारी क्षेत्र बदियाकोट में **8.680 है0** सिविल भूमि (सिविल/सोयम/बंजर/अवनत वन/अन्य वन) इत्यादि राजस्व विभाग के स्वामित्व से वन विभाग के स्वामित्व में कार्यालय जिलाधिकारी बागेश्वर के पत्रांक संख्या 2162/छब्बीस – 02वन /2020–21 दिनांक 06.07.2021 से हस्तान्तरित/आवन्टित कर वन विभाग के पक्ष में अमल दरामद करा दी गयी है। उक्त भूमि का खसरा खतौनी में स्वाामित्व वन विभाग के नाम पर दर्ज कर दिया गया है। उक्त भूमि श्रेणी 9 (खाते से बाहर की भूमि) (un measured Land) के अन्तर्गत 9(3)क के रूप में दर्ज हैं। जो कि अधिसूचना संख्याः 869–एफ/638 दिनांक 17.10.1893 के तहत संरक्षित वन घोषित है। (अधिसूचना संलग्न)

प्रतिहस्ताक्षरित

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा।

(ध्रुव सिंह मर्तोलिया)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर।

कार्यालय वन संरक्षक उत्तरी कुमाऊँ वृत्त उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा
पत्रांक / दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक/क्षेत्रीय अधिकारी, (उत्तर मध्य क्षेत्र), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, 25, सुभाष रोड़, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. प्रमुख वन संरक्षक (HOFF), उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, देहरादून।
5. मुख्य वन संरक्षक, गढवाल/कुमाऊँ, उत्तराखण्ड।
6. जिलाधिकारी बागेश्वर।
7. गार्ड बुक।

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा।

"D:\samany 2018-19\land transfer\letter land tansfare/other.JEO .docx"

संलग्न - 2

प्रमाण–पत्र

परियोजना का नामः– जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत दूणी सुकुण्डा मोटर मार्ग का विस्तार शोभाकुण्ड तक 8.00 किमी0 मोटर मार्ग निर्माण हेतु 4.34 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव सं0 FP/UK/ROAD /27337/2017 में सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 3(ग) के अनुपालन में सी0ए0 क्षेत्र ग्राम बदियाकोट सिविल भूमि में पूर्व में किसी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।

वन क्षेत्राधिकारी वन क्षेत्राधिकारी ग्लेशियर वन क्षेत्र कपकोट	उपप्रभागीय वनाधिकारी उपप्रभागीय वनाधिकारी कपकोट	प्रभागीय वनाधिकारी प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर

संलग्न-3

Passed for Rs. 6070809/-

.... of A/c .... Passed for Rs. ....

E.E./A.E.

FORM-28 HAND RECEIPT

Cash Book Voucher ....50........ ....

Date 30/12/021

Pay by Cheque/Cash Rupees (60,70,809.00 .... to उत्तराखण्ड कैम्पा

Paid by me .... Incharge of Sub-Division नि० ख० लो० नि० वि० कपकोट

Received from the अधि० अभि० .... Division the sum of Rs. साठ लाख सत्तर हजार आठ सौ नौ रु.

Name of work or purpose for which payment is made ....

एन० पी० वी० जमा करने जनपद बागे० के विधानसभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत दुलौ गुनगांव प्रधानमन्त्री ... मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.35 है. वनभूमि का हस्तान्तरण कार्यों हेतु लो. नि. वि. को प्रत्यावर्तित

Date .... c/c for Rs. 6070809/-

Recorded on MB No. 1251 Page no. 210

Witness ....

अधिशासी अभियन्ता
नि० खण्ड, लो०नि०वि०
कपकोट (बागेश्वर)
29.12.021

Signature of Payee

U.T.R. N. RBI 030227444 6373

Dt. 29-01-2022

फोटो प्रति सत्यापित

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
कपकोट (बागेश्वर)

https://ctsuk.gov.in/Payroll/Approval/EmpAppr

V.No. 50 Date 30/12/2021

Bill Type : Normal

371

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
कपकोट

Bill Date : 30.12.2021

[illegible] ID : [illegible]

wo 8902A2270122/000

[illegible]

(टी० आर० ... 170, 180, 182, 183)

1. [illegible] : बागेश्वर
2. कोषागार का नाम : कपकोट
3. [illegible] : [illegible]
4. [illegible] : 1 0 1
5. कोषागार/उप कोषागार का कोड : 0 9 0 2
6. [illegible] : 4 5
7. [illegible] : 0
8. [illegible] : मतदेय
9. [illegible] : 5 0 5 4 0 4 3 3 7 0 3 0 4

लेखाशीर्षक सम्बन्धी विवरण

मुख्य लेखाशीर्षक	(5054)सड़क तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय
उप मुख्य लेखा शीर्षक	(04)District and other Roads
लघुशीर्षक	(337)सड़क निर्माण कार्य
उपशीर्षक	(01)[illegible]
विस्तृत शीर्षक	(04)[illegible]
[illegible]	

10. आहरण वितरण अधिकारी का पदनाम : अधिशासी अभियंता नि० ख० लो० नि० वि० कपकोट
11. आहरण वितरण अधिकारी का कोड : 4 2 2 7
12. [illegible] : अधिशासी अभियंता नि० ख० लो० नि० वि० कपकोट
13. [illegible] (022)लोक निर्माण कार्य Connect [illegible]

14- [illegible] कोड :1 15- सेक्टर कोड :2 16- स्वीकृति आदेश (यदि आवश्यक हो), [illegible]

बजट की वर्तमान स्थिति			
मानक मद का नाम व कोड	आवंटित कुल बजट	इस बिल को सम्मिलित करते हुए	अवशेष बजट
54-भूमि क्रय	18854304	15191752	3662552

भुगतान का विवरण	
मानक मद का कोड एवं नाम	धनराशि
54-भूमि क्रय	60,70,809
66 देयक की सकल धनराशि (अग्रिम समायोजन के बाद)	60,70,809

ONLY FOR OFFICIAL USE

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
कपकोट

कटौतियों का कोड सहित विवरण	
77- सम्पूर्ण कटौतियां	
99 शुद्ध देय धनराशि 66-77	60,70,809

Sl. No.	व्यय सम्बन्धी विवरण	धनराशि रु०	अभ्युक्ति
1	2728 DEC-2021/Executive Engineer CD PWD Kapkot 1000074 0 TO	60,70,809	
66- सकल धनराशि अग्रिम समायोजन के बाद		60,70,809	
77- सम्पूर्ण कटौतियां		-	
99 शुद्ध देय धनराशि 66-77		60,70,809	

प्रमाणित किया जाता है कि इस देयक में प्रस्तुत किया गया दावा सही एवं नियमानुसार देय है तथा पूर्व में आहरित नहीं किया गया है। [illegible] नियमों एवं आदेशों की समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करने के बाद देयक प्रमाणार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है। देयक के [illegible] की प्राप्ति स्वीकार की जाती है।

आहरण वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
कपकोट

[illegible] हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर
[illegible] के प्रकरण में ही [illegible]
([illegible] की मुहर)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
कपकोट

कोषागार/उपकोषागार के प्रयोग हेतु

धनराशि रु० 60,70,809 (Rupees Sixty Lacs Seventy Thousand Eight Hundred Nine Only) भुगतान हेतु पारित किया जाता है
[illegible] द्वारा रु० 0
नकद धनराशि रु० 60,70,809

कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी के हस्ताक्षर

Sl. No.	Beneficiary	Account Type	IFSC CODE	Account No	Gross Amount	Total Deduction	Advance Amount	Net Amount
1	Executive Engineer CD PWD Kapkot	Current	0		6070809	0	0	6070809
					6070809	0	0	6070809

फोटो प्रति सत्यापित

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
कपकोट (बागेश्वर)

3 (111)

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 27-12-2021

Agency Name.	PWDKAPKOT
Application No.	0127337477
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/146/2020/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	C.D.P.W.D.KAPKOTEBageshwar
Amount(in Rs)	6070809/-

Amount In Words :Sixty Lakh Seventy Thousand Eight Hundred and Nine Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0903710
Pay to Account No.	150896127337477 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 27-12-2021

Agency Name.	PWDKAPKOT
Application No.	0127337477
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/146/2020/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address:	C.D.P.W.D.KAPKOTE Bageshwar
Amount(in Rs)	6070809/-

Amount In Words :Sixty Lakh Seventy Thousand Eight Hundred and Nine Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0903710
Pay to Account No.	150896127337477 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through helpdeskcampa@corpbank.co.in

After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date to cb0371@unionbankofindia.com

Print Back

UTR · N · RBI 03022744A6373

Dt - 29-01-2022

अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लो०नि०वि० कपकोट

फोटो प्रति सत्यापित
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
कपकोट (बागेश्वर)

वचनबद्धता

संलग्न-5

योजना का नामः— जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत दूणी सुकुण्डा मोटर मार्ग का विस्तार शोभाकुण्ड तक 8.00 किमी0 मोटर मार्ग निर्माण हेतु 4.34 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा0 न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में कोई बढोतरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की बढी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग की मांग के अनुसार किया जायेगा।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
कपकोट

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
कपकोट

अधिशासी अभियन्ता

प्रपत्र–23.4 संलग्न–5

परियोजना का नामः– जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत दूणी–सुकुण्डा मोटर मार्ग का विस्तार शोभाकुण्ड तक 8.00 किमी0 मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र

जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत दूणी–सुकुण्डा मोटर मार्ग का विस्तार शोभाकुण्ड तक 8.00 किमी0 निर्माण हेतु **4.340है0** वन भूमि निर्माण खण्ड, **लोक निर्माण विभाग कपकोट** (प्रयोक्ता एजेन्सी) को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या 11–9/98–एफ0सी0 दिनांक 05–02–2013 के द्वारा रेखाकार (linear) प्रयोजनों यथा–सड़क, नहर, पारेषण लाईन, ओ0एफ0सी0 केबिल व पाईपलाईन बिछाने आदि के प्रकरणों को वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों से मुक्त किया गया है। विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व आदिकालीन कृषि समुदाय (Pre Agriculural Tribal Groups) प्रभावित नहीं हो रहे हैं।

20/06/17

जिलाधिकारी
बागेश्वर

5-(1)

Form-1
(for liner project)
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Bageshwer

NO......................... Dated. 20/06/17

To WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF), Government of India's latter No- 11-9/98 FC (pt) dated 03 Aug 2009 where in the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short)on the forest land proposed to be diverted for non forest proposed read with MOEF's latter dt. 5th feb 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 4.34 hectares of forest and proposed to be diverted in favour of **Construction Division Public Work Department Kapkot District Bageshwar Uttarakhand** for **Construction of Duni Sukunda motor road Extension to Shobhakund Motor road (Length 8.00) in distt Bageshwer** district falls within It is further certified that :-

- The Complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **4.340** hectares of forest area proposed for dirversion A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee are enclosed as annexure- to annuxer.....**Not application as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.**
- The diversion of forest land for facilities managed by the Governent as required under section 3 (2) of the FRA I have completed and the Gram Sabha have givin their consent ti it;......**Not application as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwelers. No onjection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid motor road is affixed in the forest file.**
- The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre- agricultural communities. **Certificate prescribed in form 23-4 attached.**

Enclosed- as above

Signature

Dated 20/06/17

District Collector जिलाधिकारी 20/06/17
Seal बागेश्वर
(Full name and official seal of the District Collector

संलग्न-6

वचनबद्धता

योजना का नामः– जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत दूणी सुकुण्डा मोटर मार्ग का विस्तार शोभाकुण्ड तक 8.00 किमी0 मोटर मार्ग निर्माण हेतु 4.34 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रयोक्ता अभिकरण आई0आर0सी0 मानदण्डों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर वृक्षारोपण हेतु पौधों की संख्या बढाये जाने हेतु प्रयोक्ता ऐजन्सी सहमत है।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
कपकोट

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
कपकोट